

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक / नि.चि. / 31/07/1677

दिनांक : 7.9.07

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल कार्मिकों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुए डॉ. कोमल अग्रवाल, एम.डी., होम्योपैथ की सेवायें राजस्थान आवासन मण्डल में पार्ट टाईम चिकित्सक के रूप में प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबन्ध के आधार पर ली जाती हैं। श्री अग्रवाल दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक मुख्यालय परिसर में सेवायें प्रदान करेंगे। कार्मिकों को डॉ. अग्रवाल द्वारा चिकित्सा परामर्श के अनुसार दर्वाईयों मण्डल द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएंगी।

श्री अग्रवाल को उक्त सेवाओं के लिए 4,000/- रुपये अक्षरे रुपये चार हजार मात्र प्रतिमाह मानदेय देय होगा।

इन आदेशों को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

.....
सचिव 719107

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. प्रमुख निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव—आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता—प्रथम/द्वितीय, राज.आ. मण्डल, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक—सचिव/वि.स.एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (समस्त) -----
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त (समस्त) -----
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड (समस्त) -----
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि डॉ. कोमल अग्रवाल के बैठने हेतु यथाशीघ्र मुख्यालय भवन में रथा. (कक्ष) निश्चित कर सुसज्जित करें।
8. विशेषाधिकारी—अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. डॉ. कोमल अग्रवाल, ए-15, दीपक कॉलोनी, बरकत नगर, टॉक रोड, जयपुर।
10. लेखाधिकारी भुगतान, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. सहायक लेखाधिकारी (भण्डार), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवासीय अभियन्ता, खण्ड प्रथम के साथ डॉ. अग्रवाल के बैठने हेतु निर्धारित कक्ष को सुसज्जित करावें।
12. समस्त प्रकोष्ठ, मुख्यालय -----
13. नोटिस बोर्ड/सम्बन्धित/रक्षित पत्रावली

.....
सचिव 719107.

.....
C. A.
07/09